(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007

का.नि.आ. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, (सिविल निर्माण अधिकारी संवर्ग) भर्ती नियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

1. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, (सिविल निर्माण अधिकारी काडर) संशोधन भर्ती नियम, 2007 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, (सिविल निर्माण अधिकारी काडर) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में :–

(1) **मुख्य कार्यकारी (सिविल निर्माण और संपदा) पद के सामने : –**

(क) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :–

"प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा या भूतपूर्व सेना अधिकारियों के पुनः नियोजन द्वारा ।"

(ख) स्तम्भ 12 में,–

(1) प्रोन्नति प्रविष्टि के अधीन "मुख्य संनिर्माण इंजिनियर जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है" शब्दों के स्थान पर "मुख्य संनिर्माण इंजिनियर जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है" शब्द रखे जाएंगे;

(2) "प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के अधीन "केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवाओं के सिविलियन अधिकारियों" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या अन्य विभाग या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संगठित इंजीनियरी सेवा के सिविलियन अधिकारी" शब्द रखे जाएगें;

(2) **मुख्य संनिर्माण इंजीनियर के पद के सामने : –**

(क) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन या भूतपूर्व सेना अधिकारियों के पुनः नियोजन से, दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा ।"

(ख) स्तम्भ 12 में,–

(1) प्रोन्नति प्रविष्टि के अधीन "अपर मुख्य संनिर्माण इंजिनियर जिसने पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो" शब्दों के स्थान पर "मुख्य संनिर्माण इंजिनियर जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो" शब्द रखे जाएंगे;

(2) "प्रतिनियुक्ति" प्रविष्ट के अधीन "केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के सिविलियन अधिकारी", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या अन्य विभाग या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठित इंजीनियरी सेवाओं के सिविलियन अधिकारी" शब्द रखा जाएगा;

(3) **अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर के पद के सामनेः –**

(क) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।"

"25% प्रतिनियुक्ति या आमेलन या भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधे सीधी भर्ती द्वारा ।"

(ख) स्तम्भ 12 में,–

(2) "प्रतिनियुक्ति" प्रविष्ट के अधीन "केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवाओं के सिविलियन अधिकारी", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या अन्य विभाग या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संगठित इंजीनियरी सेवाओं के सिविलियन अधिकारी" शब्द रखे जाएगें;

(4) **उप मुख्य संनिर्माण इंजीनियर के पद के सामने :–**

(क) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

25% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन या भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।"

(ख) स्तम्भ 12 में,–

"प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के अधीन "केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के सिविलियन अधिकारी", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या अन्य विभागों या राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संगठित इंजीनियरी सेवाओं के सिविलियन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगें;

(5) **संनिर्माण इंजीनियर के पद के सामने :–**

(क) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

50% प्रतिनियुक्ति या आमेलन या भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।"

(ख) स्तम्भ 12 में,–

"प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के अधीन "केन्द्र सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के सिविलियन अधिकारी", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या अन्य विभागों या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संगठित इंजीनियरी सेवाओं के सिविलियन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(6) **उप संनिर्माण इंजीनियर पद के सामने :–**

(क) स्तम्भ 8 में :–

आवश्यक प्रविष्टि के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरी या आर्किटैक्चर इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य

या

इंजीनियरी में कम से कम 3 वर्ष का डिप्लोमा या समुल्य के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सिविल निर्माण की योजना और निष्पादन तथा सम्पदा प्रबन्धक का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।"

(ख) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"50% सीधी भर्ती द्वारा।

25% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

25% प्रतिनियुक्ति या आमेलन या भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।"

(ग) स्तम्भ 12 में :–

प्रोन्नति से संबंधित प्रविष्टी के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तः स्थापित किया जाएगा :–

प्रतिनियुक्ति (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्र सरकार या अन्य विभागों या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के संगठित इंजीनियरिंग सेवा से सिविलियन अधिकारी ।

(क) (i) नियमित आधार पर सहर्ष पद धारित किया है; या

(ii) रु. 6500–10500 के वेतनमान पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और

(ख) सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हता रखता हो ।

टिप्पण : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं समझे जाएंगे जो सीधे इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं समझे जाएंगे ।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सैन्य अधिकारी)

सेना के इंजीनियर अधिकारी जिन्होंने :–

(क) कैप्टन या समतुल्य लेफ्टिनेंट या समतुल्य के रैंक में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो और

(ख) जो सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हता रखते हों ।

वे अधिकारी जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष के भीतर आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना हो और अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो उन्हें भी सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रतिनियुक्ति की अवधि दी जाएगी । उसके बाद वे सिविल पदों की तरह अधिवर्षिता की तारीख तक पुनर्नियोजित किए जाएंगे ।

टिप्पण :–इस पदोन्नति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिससे इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में किसी संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. डी एच आर डी/17307/निर्माण/सी/पी/01]

एस. के. देब, अवर सचिव

टिप्पण :– मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग II धारा 4 में तारीख 13 नवम्बर, 2000 के संख्या 283 का.नि.आ. द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

(DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

New Delhi, the 28th December, 2007

S.R.O. 82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, (Civil Works Officers Cadre) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, (Civil Works Officers Cadre) Recruitment Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence (Civil Works Officers Cadre) Recruitment Rules, 2000, in the Schedule, —

(1) against the post of Chief Executive (Civil Works and Estates),—

(a) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion, failing which by deputation or absorption or re-employment of ex-service officers."

(b) in column 12,

(i) under the entry "promotion" for the words, "Chief Construction Engineer with five years' regular service in the grade", the words "Chief Construction Engineer with two years' regular service in the grade" shall be substituted;

(ii) under the entry "Deputation" for the words, "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government" the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government or other Departments or State Governments or Public Sector Undertakings" shall be substituted;

(2) against the post of Chief Construction Engineer,—

(a) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion, failing which by deputation or absorption or re-employment of ex-service officers, failing both by direct recruitment";

(b) in column 12, —

(i) under the entry "promotion" for the words, " Additional Chief Construction Engineer with five years' regular service", the words "Additional Chief Construction Engineer with two years' regular service in the grade" shall be substituted;

(ii) under entry "deputation" for the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government" the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government or other Departments or State Government or Public Sector Undertakings" shall be substituted,

(3) against the post of Additional Chief Construction Engineer,—

(a) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"75% by promotion, failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment.

25% by deputation or absorption failing which by re-employment of ex-service officers failing both by direct recruitment."

(b) in column 12,—

under the entry "deputation" for the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government" the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government or other Departments or State Government or Public Sector Undertakings" shall be substituted;

(4) against the post of Deputy Chief Construction Engineer, —

(a) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"75% by promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment.

25% by deputation or absorption failing which by re-employment of ex-service officers failing both by direct recruitment";

(b) in column 12, —

under the entry "deputation" for the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government" the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government or other Departments or State Government or Public Sector Undertakings" shall be substituted;

(5) against the post of Construction Engineer, —

(a) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"50% by promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment.

50% by deputation or absorption, failing which by re-employment of ex-service officers failing both by direct recruitment."

(b) in column 12,—

under the entry "deputation", for the words "Civilian Officers of the Organsied Engineering Services of the Central Government" the words "Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government or other Departments or State Government or Public Sector Undertakings" shall be substituted;

(6) against the post of Deputy Construction Engineer, —

(a) in column 8, —

under the entry "Essential" for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Degree in Civil or Electrical or Mechanical Engineering or in Architecture Engineering or equivalent.

Or

A minimum of three years Diploma or equivalent in Engineering with minimum ten years relevant experience in planning and execution of civil works and Estate Management in a Central Government or State Government or other Department or Public Sector Undertakings."

(b) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"50% by direct recruitment.

25% by promotion failing which by direct recruitment.

25% by deputation or absorption failing which by re-employment of ex-service officers, failing both by direct recruitment";

(c) in column 12, —

after the entry relating to promotion, the following entry shall be inserted, namely :—

Deputation (Civilian Officers);

Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Engineering Services of the Central Government or other Departments or State Governments or Public Sector undertakings.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five year regular service in pay scale of Rs. 6500-10500 and

(b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment.

Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Deputation or re-employment (Service Officers)

Engineer Officers from the Services of the rank of

(i) Capt or equivalent, or Lt. or equivalent with five years' regular service in the rank, and

(ii) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment.

The officers due to retire or those who are to be transferred to reserve category within a period of one year and having the requisite experience shall also be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms upto the date of superannuation with reference to the civil posts.

Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. DHRD/17307/Works/O/P/01]

S. K. DEB, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 *vide* number S.R.O. 283 dated the 13th November, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.